



# झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची-8240004

पत्रांक.....

राँची, दिनांक .....

प्रेषक,

आर0 के0 सिन्हा  
सदस्य सचिव

सेवा में,

सर्वश्री फलेयर एण्ड एजेन्सी,  
जामिया नगर, एफ सी आई, गोदाम,  
कडरू, राँची ।

विषय: झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद का एक निविदा सूचना (ईट भट्टा का उत्सर्जन मापक) प्रकाशन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में इस पर्षद से सम्बन्धित संलग्न सूचना को दर्शाये गये राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में दर्शाये गये तिथि के अनुसार डी0ए0 भी0 पी0 दर पर प्रकाशन कराया जाय ।

1. प्रभात खबर (राज्य स्तरीय) - एक दिन प्रकाशन तिथि - 19.09.2009
2. हिन्दुस्तान टाइम्स (झारखण्ड) संस्करण - एक दिन प्रकाशन तिथि - 19.09.2009

कृपया दर्शाये गये तिथि को ( प्रथम एवं अन्तिम पृष्ठ को छोड़कर) न्यूनतम साईज / (10 X 12 cm) में उपरोक्त दैनिक में प्रकाशन सुनिश्चित किया जाय। विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात विज्ञापित सामग्रियों की दो-दो विपत्र के साथ भुगतान हेतु प्रस्तुत करें। विज्ञापन का भुगतान डी0ए0 भी0 पी0 दर पर की जायेगी।

अनु0 यथोक्त.

विश्वासभाजन,

६०

आर0 के0 सिन्हा  
सदस्य सचिव

ज्ञापांक L-509

राँची, दिनांक 17.9.2009.

प्रतिलिपि:- लेखाशाखा, मुख्यालय, राँची को एवं M/s Horizon Softech को पर्षद के Website में प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आर0 के0 सिन्हा  
सदस्य सचिव



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 423]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 22, 2009/आषाढ़ 31, 1931

No. 423]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 22, 2009/ASADHA 31, 1931

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2009

सा.का.नि. 543(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) चौथा संशोधन नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-1 में क्रम 74 में 'ईट भट्टों के लिए उत्सर्जन मानक' और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ रखी जाएँगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	उद्योग	पैरामीटर	मानक
(1)	(2)	(3)	(4)
74	ईट भट्टे	उत्सर्जन मानक	
		1. कुल दूँध भट्टा (कुट्टे.भ.)	
		श्रेणी*	सांद्रण सीमा मि.ग्रा./नार्मल घन मी. में
	विविक्त पदार्थ	लघु	1000
		मध्यम	750
		धूलत्	750
			न्यूनतम (मीटर)
	चिमनी को ऊँचाई	लघु	22 या 12 मीटर ऊँची चिमनी के साथ 50 मि.मी. जल मैनोमीटर के न्यूनतम ड्राफ्ट पर परिचालित इन्डयूस्ड ड्राफ्ट फैन
		मध्यम	27 या 15 मीटर ऊँची चिमनी के साथ 50 मि. मी. जल मैनोमीटर के न्यूनतम ड्राफ्ट पर परिचालित इन्डयूस्ड ड्राफ्ट फैन



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 423]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 22, 2009/आषाढ़ 31, 1931

No. 423]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 22, 2009/ASADHA 31, 1931

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2009

सा.का.नि. 543(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) चौथा संशोधन नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-1 में क्रम 74 में 'ईट भट्टों के लिए उत्सर्जन मानक' और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ रखी जाएँगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	उद्योग	पैरामीटर	मानक
(1)	(2)	(3)	(4)
74	ईट भट्टे	उत्सर्जन मानक	
		1. कुल टूँच भट्टा (कुट्टे.भ.)	
		श्रेणी*	सांद्रण सीमा मि.ग्रा./वार्मल घन मी. में
	विविक्त पदार्थ	लघु	1000
		मध्यम	750
		शुद्ध	750
			न्यूनतम (मीटर)
	चिमनी की ऊँचाई	लघु	22 या 12 मीटर ऊँची चिमनी के साथ 50 मि.मी. जल मैनोमीटर के न्यूनतम ड्राफ्ट पर परिचालित इन्डयूस्ड ड्राफ्ट फैन
		मध्यम	27 या 15 मीटर ऊँची चिमनी के साथ 50 मि. मी. जल मैनोमीटर के न्यूनतम ड्राफ्ट पर परिचालित इन्डयूस्ड ड्राफ्ट फैन

(1)	(2)	(3)	(4)
		बृहत्	30 या 17 मीटर ऊँची चिमनी के साथ 50 मि.मी. जल मैनोंमीटर के न्यूनतम ड्राफ्ट पर परिचालित इन्ड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन
*श्रेणी		खंडक की चौड़ाई (मी.)	उत्पादन (ईंटें/प्रतिदिन)
लघु बु. ट्रे. भ.		4.50 से कम	15,000 से कम
मध्यम बु. ट्रे. भ.		4.50-6.75	15,000-30,000
बृहत् बु. ट्रे. भ.		6.75 से अधिक	30,000 से अधिक
		<b>II. अधोप्रवाह भट्टा ( अ. भ. )</b>	
विविक्त पदार्थ		श्रेणी ++	सांद्रण सीमा मि.ग्र. नार्मल घन मी. में
		लघु/मध्यम/बृहत्	1200
			न्यूनतम (मीटर)
चिमनी की ऊँचाई		लघु	12
		मध्यम	15
		बृहत्	18
++श्रेणी		उत्पादन (ईंटें/प्रतिदिन)	
लघु अ. भ.		15,000 से कम	
मध्यम अ. भ.		15,000-30,000	
बृहत् अ. भ.		30,000 से अधिक	
		<b>III. ऊर्ध्वाधर विकास भट्टा ( उ. नि. भ. )</b>	
विविक्त पदार्थ		श्रेणी**	सांद्रण सीमा मि.ग्र. बी/नार्मल घन मी. में
		लघु/मध्यम/बृहत्	250
			न्यूनतम (मीटर)
		लघु	11 (ईंट भराई प्लेटफार्म से कम से कम 5.5 मीटर ऊँची)
चिमनी की ऊँचाई		मध्यम	14 (ईंट भराई प्लेटफार्म से कम से कम 7.5 मीटर ऊँची)
		बृहत्	16 (ईंट भराई प्लेटफार्म से कम से कम 8.5 मीटर ऊँची)
** श्रेणी		शाफ्टों की संख्या	उत्पादन (ईंटें/प्रतिदिन)
लघु उ. नि. भ.		1-3	15,000 से कम
मध्यम उ. नि. भ.		4-6	15,000-30,000
बृहत् उ. नि. भ.		7 या अधिक	30,000 से अधिक

**टिप्पण.—1.**

सभी चूरा ट्रेन्च भट्टों के लिए समुचित ऊँचाई वाली स्थायी चिमनी के साथ गुरुत्व ललछट चैम्बर निर्मित किये जाएंगे।

2.

ऊर्ध्वाधर विकास भट्टे में प्रति शाफ्ट एक चिमनी बनाई जाएगी। एक शाफ्ट से निकलने वाली दो चिमनियाँ (ईंट की चिमनी के मामले में 'भराई प्लेटफार्म' के ऊपर या धातु की चिमनी की दशा में उपयुक्त स्तर पर) एक चिमनी बनाने के लिए जोड़ दी जाए।

3.

उपरोक्त मानक विभिन्न भट्टों के लिए यदि कोयला, जलावन लकड़ी और/या कृषि अवशिष्ट ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, लागू होंगे।''

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 844(अ), तारीख 19 नवम्बर, 1986 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और परचातूर्ती संशोधन सं. का.आ. 433(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1987; का.आ.सं. 64(अ), तारीख 18 जनवरी, 1988; सं. का.आ. 3(अ), तारीख 3 जनवरी, 1989; सं. का.आ. 190(अ), तारीख 15 मार्च, 1989; सा.का.नि. 913(अ), तारीख 24 अक्टूबर, 1989; सं. का. आ. 12(अ), तारीख 8 जनवरी, 1990; सा.का.नि. 742(अ), तारीख 30 अगस्त, 1990; सं. का.आ. 23(अ), तारीख 16 जनवरी, 1991; सं. का.आ. 93(अ), तारीख 21 फरवरी, 1991; सा.का.नि. 95(अ), तारीख 12 फरवरी, 1992; सा.का.नि. 797(अ), तारीख 1 अक्टूबर, 1992; सा.का.नि. 386(अ), तारीख 28 अप्रैल, 1993; सा.का.नि. 422(अ), तारीख 19 मई, 1993; सा.का.नि. 801(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 1993; सा.का.नि. 176(अ), तारीख 3 अप्रैल, 1996; सा.का.नि. 631(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 1997; सा.का.नि. 504(अ), तारीख 20 अगस्त, 1998; सा.का.नि. 7(अ), तारीख 2 जनवरी, 1999; सा.का.नि. 682(अ), तारीख 6 अक्टूबर, 1999; सा.का.नि. 742(अ), तारीख 25 सितम्बर, 2000; सा.का.नि. 72(अ), तारीख 6 फरवरी, 2001; सा.का.नि. 54(अ), तारीख 22 जनवरी, 2002; सा.का.नि. 371(अ), तारीख 17 मई, 2002; सा.का.नि. 489(अ), तारीख 9 जुलाई, 2002; सा.का.नि. 1088(अ), तारीख 11 अक्टूबर, 2002; सा.का.नि. 849(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2002; सा.का.नि. 520(अ), तारीख 1 जुलाई, 2003; सा.का.नि. 92(अ), तारीख 29 जनवरी, 2004; सा.का.नि. 448(अ), तारीख 12 जुलाई, 2004; शुद्धिपत्र सा.का.नि. 520(अ), तारीख 12 अगस्त, 2004; सा.का.नि. 272(अ), तारीख 5 मई, 2005; सा.का.नि. 315(अ), तारीख 16 मई, 2005; सा.का.नि. 546(अ), तारीख 30 अगस्त, 2005; सा.का.नि. 46(अ), तारीख 3 फरवरी, 2006; सा.का.नि. 464(अ), तारीख 7 अगस्त, 2006; सा.का.नि. 640(अ), तारीख 16 अक्टूबर, 2006; सा.का.नि. 566(अ), तारीख 29 अगस्त, 2007; सा.का.नि. 704(अ), तारीख 12 नवम्बर, 2007; सा.का.नि. 186(अ), तारीख 18 मार्च, 2008; सा.का.नि. 280(अ), तारीख 11 अप्रैल, 2008; सा.का.नि. 344(अ), तारीख 7 मई, 2008; सा.का.नि. 414(अ), तारीख 30 मई, 2008; सा.का.नि. 481(अ), तारीख 26 जून, 2008; सा.का.नि. 579(अ), तारीख 6 अगस्त, 2008; सा.का.नि. 600(अ), तारीख 18 अगस्त, 2008; सा.का.नि. 752(अ), तारीख 24 अक्टूबर, 2008; सा.का.नि. 844(अ), तारीख 18 फरवरी, 2009; सा.का.नि. 149(अ), तारीख 4 मार्च, 2009; और सा.का.नि. 512(अ), तारीख 8 जुलाई, 2009।

### MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2009

G.S.R.543 (E)—In exercise of the powers conferred by Sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Fourth Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule I, for serial number 74, relating to 'Emission Standards for Brick Kilns' and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

Sl. No.	Industry	Parameter	Standard
(1)	(2)	(3)	(4)
74	Brick Kilns	Emission Standards i. Bull's Trench Kiln (BTK)	
		Category*	Limiting concentration in mg/Nm <sup>3</sup>
		Particular matter	
		small	1000
		medium	750
		large	750
			<i>minimum (metre)</i>
		Stack height	
		small	22 or induced draft fan operating with minimum draft of 50 mm WG with 12 metre stack height.
		medium	27 or induced draft fan operating with minimum draft of 50 mm WG with 15 metre stack height.
		large	30 or induced draft fan operating with minimum draft 50 mm WG with 17 metre stack height.
		*Category	<i>Trench width (m)</i>
		small BTK	<4.50
		medium BTK	4.50-6.75
			<i>Production (bricks/day)</i>
			Less than 15,000
			15,000-30,000

(1)	(2)	(3)	(4)
		large BTK	above 6.75
		(ii) Down-Draft Kiln (DDK)	
			<i>Category**</i>
		Particular matter	small/large/medium
		Stack height	small medium large
		<i>**Category</i>	<i>Production (bricks/day)</i>
		small DDK	Less than 15,000
		medium DDK	15,000—30,000
		large DDK	above 30,000
		(iii) Vertical Shaft Kiln (VSK)	
			<i>Category**</i>
		Particular matter	small/large/medium
		Stack height	small medium large
		<i>**Category</i>	<i>No. of shafts</i>
		small VSK	1—3
		medium VSK	4—6
		large VSK	7 or more
		Notes—	
		1. Gravitational Settling Chamber along with fixed chimney of appropriate height shall be provided for all Bull's Trench kilns.	
		2. One chimney per shaft in Vertical Shaft Kiln shall be provided. The two chimneys emanating from a shaft shall either be joined (at the loading platform in case of brick chimney or at appropriate level in case of metal chimney) to form a single chimney.	
		3. The above standards shall be applicable for different kilns if coal, firewood and/or agricultural residues are used as fuel."	

[F. No. Q-15017/35/2007-CPW]

RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

**Note.**— The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number S.O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and subsequently amended *vide* S.O. 433(E), dated the 18th April, 1987; S.O. 64(E), dated the 18th January, 1988; S.O. 3(E), dated the 3rd January, 1989; S.O. 190(E), dated the 15th March, 1989; G.S.R. 913(E), dated the 24th October, 1989; S.O. 12(E), dated the 8th January, 1990; G.S.R. 742(E), dated the 30th August, 1990; S.O. 23(E), dated the 16th January, 1991; G.S.R. 93(E), dated the 21st February, 1991; G.S.R. 95 (E), dated the 12th February, 1992; G.S.R. 329 (E), dated the 13th March, 1992; G.S.R. 475(E), dated the 5th May, 1992; G.S.R. 797(E), dated the 1st October, 1992; G.S.R. 386(E), dated the 28th April, 1993; G.S.R. 422(E), dated the 19th May, 1993; G.S.R. 801(E), dated the 31st December 1993; G.S.R. 176 (E), dated the 3rd April, 1996; G.S.R. 631(E), dated the 31st October, 1997; G.S.R. 504 (E), dated the 20th August, 1998; G.S.R. 7(E), dated the 2nd January, 1999; G.S.R. 682(E), dated the 6th October, 1999; G.S.R. 742(E), dated the 25th September, 2000; G.S.R. 72(E), dated the 6th February, 2001; G.S.R. 54 (E), dated the 22nd January, 2002; G.S.R. 371(E), dated the 17th May, 2002; G.S.R. 489 (E), dated the 9th July, 2002; S.O. 1088(E), dated the 11th October, 2002; G.S.R. 849(E), dated the 30th December, 2002; G.S.R. 520(E), dated the 1st July, 2003; G.S.R. 92(E), dated the 29th January, 2004; G.S.R. 448(E), dated the 12th July, 2004; Corrigenda G.S.R. 520 (E), dated the 12th August, 2004; G.S.R. 272 (E), dated the 5th May, 2005; G.S.R. 315(E), dated the 16th May, 2005; G.S.R. 546(E), dated the 30th August, 2005; G.S.R. 46(E), dated the 3rd February, 2006; G.S.R. 464(E), dated the 7th August, 2006; G.S.R. 640(E), dated the 16th October, 2006; G.S.R. 566(E), dated the 29th August, 2007; G.S.R. 704 (E), dated the 12th November, 2007; G.S.R. 186(E) dated the 18th March, 2008; G.S.R. 280(E), dated the 11th April, 2008; G.S.R. 344(E), dated the 7th May, 2008; G.S.R. 414 (E), dated the 30th May, 2008; G.S.R. 481(E), dated the 26th June, 2008; G.S.R. 579 (E), dated the 6th August, 2008; G.S.R. 600(E), dated the 18th August, 2008; G.S.R. 752(E), dated the 24th October, 2008; G.S.R. 97(E) dated the 18th February, 2009; G.S.R. 149(E), dated the 4th March, 2009; and G.S.R. 512(E), dated the 9th July, 2009.